क्रम-संख्या—24 (च)

रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 890

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41

[illegible] टू पोस्ट एट कन्सेशनल [illegible]

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 2 फरवरी, 1999

माघ 13, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

खाद्य तथा रसद अनुभाग-8

संख्या सी0 पी0 147/29-8—99-सी0पी0-29-96

लखनऊ, 2 फरवरी, 1999

अधिसूचना

प0 आ0—19

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 68 सन् 1986) की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1998

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1998 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम–3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 3 में उपनियम (1) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:—

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(क) जिला फोरम का प्रधान, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन या यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो प्रतिदिन 200 रुपये का मानदेय प्राप्त करेगा। अन्य सदस्य यदि वे पूर्णकालिक आधार पर आसीन हैं तो प्रतिमास 2000 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे और यदि अंशकालिक आधार पर आसीन हैं तो बैठक के लिए प्रतिदिन 150 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।	(क) जिला फोरम का प्रधान, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन या यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो प्रतिदिन 200 रुपये का मानदेय प्राप्त करेगा। अन्य सदस्य यदि वे पूर्णकालिक आधार पर आसीन हैं तो प्रतिमास 4000 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे और यदि अंशकालिक आधार पर आसीन हैं तो बैठक के लिए प्रतिदिन 150 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।

नियम–6 का संशोधन

3—उक्त नियमावली में, नियम 6 में उपनियम (1) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:—

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(क) राज्य आयोग का प्रधान यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, या यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो बैठक के लिए प्रतिदिन 250 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा। अन्य सदस्य यदि वे पूर्णकालिक आधार पर आसीन है, तो प्रतिमास 3000 रुपये का समेकित मानदेय और यदि अंशकालिक आधार पर आसीन हैं तो बैठक के लिए प्रतिदिन 200 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।	(क) राज्य आयोग का प्रधान यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो बैठक के लिए प्रतिदिन 250 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा। अन्य सदस्य यदि वे पूर्णकालिक आधार पर आसीन हैं, तो प्रतिमास 6000 रुपये का समेकित मानदेय और यदि अंशकालिक आधार पर आसीन है तो बैठक के लिए प्रतिदिन 200 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।

आज्ञा से,
प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. C.P. 147/XXIX-8—99-C.P. 29-96, dated February 2, 1999:

No. C. P. 147/XXIX-8—99-CP-29-96

Dated Lucknow, February 2, 1999

IN exercise of the powers under sub-section (2) of section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (Act no. 68 of 1986), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987.

THE UTTAR PRADESH CONSUMER PROTECTION (FOURTH AMENDMENT) RULES, 1998

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Consumer Protection (Fourth Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2- In the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987, herein-after referred to as the said rules, in rule 3 in Sub-Rule (1) *for* the existing clause (*a*) set out in columm-I below, the clause as set out in column-II shall be *substituted*, namely :— Amendment of rule 3

COLUMN-I *Existing Clause*	COLUMN- II *Clause as hereby substituted*
(*a*) The President of the District Forum shall receive the salary of the judge of a District Court if appointed on whole time basis or an honorarium of Rs. 200/- per day if appointed on part time basis. Other members if sitting on whole time basis, shall receive a consolidated honorarium of Rs. 2000/- per month and if sitting part time basis, a consolidated honorarium of Rs. 150/- per day for sitting.	(*a*) The President of the District Forum shall receive the salary of the Judge of a District Court if appointed on whole time basis or an honorarium of Rs. 200/- per day if appointed on part time basis. Other members if sitting on whole time basis, shall receive a consolidated honorarium of Rs. 4000/- per month and if sitting on part time basis, a consolidated honorarium of Rs. 150/- per day for the sitting.

3. In the said rules, in rule 6 in sub-rule (1) for the existing clause. Amendment of rule 6

(*a*) Set out in column-I below, the Clause as set out in column-II shall be *substituted*, namely:—

COLUMN-I *Existing Clause*	COLUMN-II *Clause as hereby substituted*
(*a*) The President of the State Commission shall receive the salary of the judge of the High Court if appointed on whole time basis or a consolidated honorarium of Rs. 250/- per day for the sitting if appointed on part time basis. Other members if sitting on whole time basis, shall receive a consolidated honorarium of Rs. 3000/- per month and if sitting on part time basis, a consolidated honorarium of Rs. 200/- per day for the sitting.	(*a*) The President of the State Commission shall receive the salary of the judge of the High Court if appointed on whole time basis, or a consolidated honorarium of Rs. 250/- per day for the sitting if appointed on part time basis. Other members if sitting on whole time basis shall receive a consolidated honorarium of Rs. 6000/- per month, and if sitting on part time basis a consolidated honorarium of Rs. 200/- per day for the sitting.

By order,

PRABHAT CHANDRA CHATURVEDI,

Sachiv.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 13 सा० खाद्य तथा रसद--(2242)--1999--2500 (पेंक०)।